

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE**भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA**वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 जून 2025

**भारत सरकार के खजाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(सितंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)**

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा, सितंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खजाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:

खजाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि**(1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025)****(₹ करोड़)**

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
02 जुलाई 2025	03 जुलाई 2025	9,000	6,000	5,000	20,000
09 जुलाई 2025	10 जुलाई 2025	9,000	6,000	5,000	20,000
16 जुलाई 2025	17 जुलाई 2025	9,000	6,000	5,000	20,000
23 जुलाई 2025	24 जुलाई 2025	9,000	6,000	5,000	20,000
30 जुलाई 2025	31 जुलाई 2025	10,000	6,000	5,000	21,000
06 अगस्त 2025	07 अगस्त 2025	10,000	6,000	5,000	21,000
13 अगस्त 2025	14 अगस्त 2025	10,000	6,000	5,000	21,000
20 अगस्त 2025	21 अगस्त 2025	10,000	6,000	5,000	21,000
28 अगस्त 2025	29 अगस्त 2025	10,000	6,000	5,000	21,000
03 सितंबर 2025	04 सितंबर 2025	10,000	6,000	5,000	21,000
10 सितंबर 2025	11 सितंबर 2025	10,000	6,000	5,000	21,000
17 सितंबर 2025	18 सितंबर 2025	10,000	6,000	5,000	21,000
24 सितंबर 2025	25 सितंबर 2025	10,000	6,000	5,000	21,000
कुल		1,26,000	78,000	65,000	2,69,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खजाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज्जाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा 26 मार्च 2025 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ.सं.4(2)-बी(डब्ल्यू एंड एम)/2018 में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/617